

शिव बारात का पोस्टर-बैनर हटाने के मामले में महापौर ने आयुक्त से मांगा जवाब

नवभारत न्यूज
रीवा, 3 फरवरी, शिव बारात आयोजन का पोस्टर-बैनर हटाए जाने को लेकर रीवा महापौर ने नाराजगी जताते हुए नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर सवाल उठाए है. उन्होंने अपने पत्र में सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही संस्था को आखिर टारगेट क्यों किया गया?

पूरे मामले की जांच करा कर दो दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन तलब किया है. उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा सोमवार को महाशिवरात्रि पर्व को होने वाली शिव बारात के पोस्टर बैनर निकाले गये थे. जिसके बाद आयोजन समिति ने हंगामा करते हुए धरना दिया. किसी तरह रात में मामला शांत हुआ. अब इस मामले में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने नाराजगी जताते हुए आयुक्त को पत्र लिखा है. महापौर ने आयुक्त को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 15 फरवरी को रीवा शहर में शिव बारात के आयोजन के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजकों द्वारा पोस्टर बैनर लगाए गये हैं, जिन्हें आपके निर्देश पर 02 फरवरी को निकलवाया गया. जिस कारण आयोजकों में आक्रोश उत्पन्न हुआ. शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ने की स्थिति निर्मित हुई और निगम द्वारा की गई उक्त कार्यवाही से आमजन में



असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है, जो निगम हित में कतई नहीं है. नगर निगम को सभी धर्मों के आयोजनों का सम्मान करना चाहिये. यदि आयोजक द्वारा मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम के अंतर्गत अनुमति नहीं ली गई, तो उन्हें नोटिस देना चाहिये था. ऐसा देखा गया है कि इस आयोजन के पूर्व अनेक धार्मिक, राजनैतिक एवं व्यक्तिगत जन्मदिन आदि कार्यक्रमों के बैनर, पोस्टर काफी समय तक शहर में लगाए गये. क्या उन्हें निगम से अनुमति दी गई, यदि बिना अनुमति के लगाए गये थे, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई. एक ही संस्था को टारगेट क्यों किया गया, यह कृत्य निंदनीय है. ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये. उक्त प्रकरण का परीक्षण कराकर प्रतिवेदन 02 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करायें. ताकि आगे की कार्यवाही हो सके.

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर ने दिए टिप्स, नकल पर नकेल के निर्देश

शिकायत मिलने पर केन्द्राध्यक्ष के खिलाफ होगी कार्यवाही, परीक्षा केन्द्र में प्रतिबंधित रहेगा सभी का मोबाइल, 9 अतिसंवेदनशील केन्द्र

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षाओं के लिए नियुक्त केन्द्राध्यक्षों एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि निर्विघ्न और शांतिपूर्वक परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करायें.

परीक्षा केन्द्रों पर नकल न हो, परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनी रहे इस पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि केन्द्राध्यक्ष और सहायक केन्द्राध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को प्रश्न पत्र लाने के लिए अधिकृत नहीं करेंगे. इसी प्रकार उत्तर पुस्तिका निर्धारित स्थान पर जमा करने का कार्य भी केन्द्राध्यक्ष अथवा सहायक केन्द्राध्यक्ष को ही करना होगा.



कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें. परीक्षा केन्द्रों में कलेक्टर प्रतिनिधि के

अतिरिक्त सभी का मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा कक्ष में एक बैच में एक ही परीक्षार्थी बैठेगा तथा 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

कलेक्टर ने निर्देश दिये कि त्रुटि रहित बोर्ड परीक्षाओं का सफल संचालन सुनिश्चित करायें तथा परीक्षा केन्द्रों में तनाव रहित वातावरण निर्मित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों

को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्राध्यक्ष व सहायक केन्द्राध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी. कलेक्टर ने कहा कि सभी

केन्द्राध्यक्ष व उप केन्द्राध्यक्ष निर्धारित ऐप को डाउनलोड कर इसका संचालन सीख लें. प्रशिक्षण में सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा, सहायक संचालक राजेश मिश्रा मौजूद रहे.

रीवा में 71 और मऊगंज में 23 परीक्षा केन्द्र

उल्लेखनीय है कि बोर्ड परीक्षा के लिए रीवा जिले में 71 तथा मऊगंज जिले में 23 परीक्षा केन्द्र सुनिश्चित किये गये हैं. मऊगंज जिले में 4 संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गयी है. रीवा जिले में 18 अशासकीय परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं जिनकी लाइव निगरानी जिला एवं भोपाल स्तर पर की जायेगी. जिले में 9 अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों में कलेक्टर प्रतिनिधि के अलावा प्रेक्षकों तथा पुलिस बल की तैनाती रहेगी. रीवा जिले में 8 तथा मऊगंज जिले में 3 निरीक्षण दल बनाये गये हैं. परीक्षा तिथि को केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कलेक्टर प्रतिनिधि थाने में उपस्थित होकर प्रश्न पत्र लेकर सुबह 8.30 बजे के केन्द्र में पहुँच जायेंगे. प्रश्न पत्रों के बावस खोले जाने के पूर्व बावसों के 6 तरफ के वीडियो बनाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को भेजा जायेगा.

परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि रहेगी प्रतिबंधित क्षेत्र

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएँ 10 फरवरी से 7 मार्च तक तथा सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षा 10 अप्रैल तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा रही हैं.

बोर्ड परीक्षाओं के सुचारु संचालन तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं

जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों में सौ मीटर की परिधि का क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है. इसमें केवल परीक्षार्थी तथा परीक्षा इयूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे.

पीटीएस पहुंची आईजी प्रशासन ने किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय भोपाल श्रीमती रुचिवर्धन मिश्रा का भ्रमण हुआ.

सर्वप्रथम प्रातः काल हार्टफुलनेस मेडिटेशन का सत्र आयोजित किया गया. जिसमें पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा के सभी प्रशिक्षु नवआरक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, 9वीं बटालियन एस्पएफ रीवा के

समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस परिवार के बच्चे शामिल हुए. पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा पुलिस को हार्टफुलनेस मेडिटेशन क्यों करना चाहिए तथा इससे क्या लाभ है इस संबंध में वक्तव्य दिया गया. प्रशिक्षु आरक्षकों ने हार्टफुलनेस से संबंधित अपने फीडबैक साझा किये. साथ ही आधे घंटे का ध्यान का सत्र भी करवाया गया. जिस दौरान भारतीय योग संघ के सदस्य व मध्य प्रदेश राज्य के हार्टफुलनेस के समन्वयक गजेन्द्र

गौतम ने भी सभी को संबोधित किया. इस दौरान वलेंट् योगा डे पर जिला पुलिस बल रीवा में बाइटर माइंड्स की अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के बच्चों व हार्टफुलनेस नेशनल ऐसे इवेंट 2025 में भाग लेने वाले पुलिस परिवार के बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए तथा उन बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले हार्टफुलनेस के ट्रेनर्स को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. प्रतिदिन प्रशिक्षु नव आरक्षकों को

हार्टफुलनेस की ट्रेनिंग करवाने हेतु पीटीएस रीवा के उप पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश मिश्रा को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. इसके पश्चात प्रशासनिक भवन का भ्रमण किया. जिस दौरान पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन द्वारा अपना प्रेजेंटेशन दिया गया. पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी दी गई और सर्विस रोल ऑनबोर्ड होने के पश्चात इसमें आने वाली समस्या के बारे में फीडबैक लिया गया.

संक्षिप्त

औद्योगिक क्षेत्रों की जांच के लिए समिति गठित

रीवा, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने औद्योगिक क्षेत्र के खाली भवनों व परिसरों में ड्रग एवं अन्य नशे के पदार्थ के उपयोग पर रोक लगाने के संयुक्त निर्देश दिये हैं. कलेक्टर ने सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर काफ्रेस के एजेण्डा बिन्दुओं पर भी चर्चा होगी. इस दौरान विभाग प्रमुख के साथ ही खण्ड स्तरीय अधिकारियों को उपस्थिति के निर्देश दिये गये हैं.

संयुक्त बैठक आज

रीवा, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में 4 फरवरी को जिला स्वास्थ्य समिति एवं रोगी कल्याण समिति तथा पोषण आहार समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है. कलेक्टर ने सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर काफ्रेस के एजेण्डा बिन्दुओं पर भी चर्चा होगी. इस दौरान विभाग प्रमुख के साथ ही खण्ड स्तरीय अधिकारियों को उपस्थिति के निर्देश दिये गये हैं.

राष्ट्रीय न्यास लोकल लेवल कमेटी की बैठक आज

रीवा, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यास लोकल लेवल कमेटी की बैठक 4 फरवरी को सुबह 11 बजे से कलेक्टर के आयोजित की गई है.



कमिश्नर साइकिल से पहुंचे कार्यालय

रीवा, पर्यावरण की सुरक्षा तथा स्वयं की स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य से सप्ताह में मंगलवार के दिन कमिश्नर बीएस जामोद की पहल पर अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से कार्यालय पहुंच रहे हैं. यह क्रम लगातार बना हुआ है. सुमंगल साइकिल दिवस पर कमिश्नर और अन्य अधिकारी साइकिल से कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. कमिश्नर के साथ प्रभारी खनिज अधिकारी बसंतराम, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा टीएन टैकाम, अन्य संभागीय अधिकारी तथा कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारी भी साइकिल से कार्यालय पहुंचे. संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा कई अधिकारियों ने कार्यालय पहुंचने के लिए ई रिक्शा और ई स्कूटी का उपयोग किया.

स्वच्छता सर्वेक्षण में जिला पंचायत को मिला दूसरा स्थान

रीवा, नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत स्वच्छ कार्यालय प्रतियोगिता में जिला पंचायत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. उल्लेखनीय है कि सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर के प्रयासों से कार्यालय की साफ सफाई कराकर रंगरोगन कराया गया तथा संपूर्ण कार्यालय व परिसर को आकर्षक व सुंदर बनाया गया. स्वच्छता के मानकों में जिला पंचायत नगर निगम के सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहा है.

कारण बताओ नोटिस जारी

रीवा, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जनपद पंचायत गंगेव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्राची चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केन्द्र तथा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न करने पर जारी किया गया है. नोटिस का जवाब तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत न करने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी.



पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन पीटीएस में आयोजित कार्यक्रम में

दिन भर आसमान में छाये रहे बादल, हल्की हुई बूदाबांदी

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, पिछले दो दिन से मौसम खराब चल रहा है आसमान में दिन भर बादल छाये रहे. जिसके कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए. दोपहर शहर सहित जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बूदाबांदी हुई.

मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर बारिश की संभावना जताई है. किसान अपनी फसलो को लेकर चिंतित हैं, अगर हल्की बारिश होती है तो नुकसान नहीं



है. लेकिन ओलावृष्टि होती है तो फसलो को नुकसान होगा, खासकर दलहन एवं तिलहन फसल को, केवल गेहूँ की फसल को फायदा होगा. सोमवार को

जहा बादल बने रहे वही दूसरी दिन भी मंगलवार को दिन भर बादल छाये रहे, धूप नहीं निकली और ठंड बनी रही. न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री रहा जबकि

जनसुनवाई में कमिश्नर के पास जमीन से जुड़ी पहुंची शिकायतें

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित जन सुनवाई में कमिश्नर बीएस जामोद ने आम जनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई की.

जनसुनवाई में कृष्णा सिंह सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश प्रसाद मिश्रा ने पेंशन प्रकरणों के निराकरण एवं स्वलों के भुगतान के लिए आवेदन दिया. कमिश्नर ने संबंधित

अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए. सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर राजीवलोचन सिंह ने उन्हें शसन द्वारा ग्राम दूबों में दी गई जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दिया. कमिश्नर ने कलेक्टर मऊगंज को सात दिवस में सीमांकन कराने के निर्देश दिए. जनसुनवाई में जमीन से अवैध कब्जा हटाने, नहर का सीपेज रोकने, सीमांकन, भू-अर्जन की राशि तथा उपचार सहायता के प्रकरणों में सुनवाई की गई. जनसुनवाई में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

आवेदनों के लंबित रहने पर 10 अधिकारियों पर लगा जुर्माना

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी के तहत एमपी ई डिस्ट्रिक्ट तथा आरसीएमएस पोर्टल में आवेदनों के लंबित रहने पर 10 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है.

कलेक्टर द्वारा इन आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने के लिए 26

जनवरी की तिथि तय की थी लेकिन अधिकारियों द्वारा आवेदनों के निराकरण में रुचि न लेने तथा उनके लंबित रहने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है. कलेक्टर ने तहसीलदार मनगवां श्रीमती औंचल अग्रहरी, तहसीलदार त्योंथर राजेन्द्र शुक्ला, नायब तहसीलदार प्रकाश उपाध्याय, नायब तहसीलदार सिरमौर

बिन्दु तिवारी तथा नायब तहसीलदार गुडू श्रीमती महिमा पाठक पर समय सीमा में लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी प्रकार नायब तहसीलदार जवा राजेश शुक्ला एवं निवेदिता त्रिपाठी, तहसीलदार जवा जीतेन्द्र तिवारी,



इसके अतिरिक्त स्कूल की बाउंड्रीवॉल से सटाकर जमाई गई अन्य गोमतियों को भी हटाया गया. इसी प्रकार सिरमौर चौराहा

रेवांचल ट्रेन में अज्ञात युवक का मिला शव

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, भोपाल से चलकर रीवा आने वाली रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिला है.

जीआरपी द्वारा युवक के शव को पीएम और शिनाख्त्री के लिए संजय गांधी अस्पताल के लिए संजय गांधी अस्पताल के शव गृह में रख दिया गया है. जानकारी के अनुसार रेवांचल

एक्सप्रेस की बोगी में एक अज्ञात व्यक्ति को मृत अवस्था में देखकर जीआरपी को यात्रियों ने सूचना दी जिसके बाद रीवा जीआरपी ने तत्काल युवक के शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए शव को अस्पताल में रखा दिया है. बताया गया है कि मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष है उसकी मृत्यु ट्रेन के बोगी में कैसे हुई यह जांच का विषय है.